उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

बनाम

प्रमोद कुमार शुक्ला व अन्य

(सिविल अपील संख्या 2094/2008)

मार्च 25, 2008

(डॉ. अरीजीत पसायत एवं लोकेश्वरसिंह पन्ता जेजे)

उत्तर प्रदेश सिनेमा विनिमय अधिनियम 1955- धारा 7 व 5(3)- स्थाई सिनेमा हॉल निर्माण के संबंध में मुख्यत्यारआम जिसके द्वारा स्वंय को मालिक बताया गया है, को जारी अनुज्ञप्ति- सहायता अनुदान (ग्रान्ट एन ऐड) स्वीकृत- गलत वर्णन के आधार पर चुनौती- रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई- अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विवाद का गलत विवेचन करना पाया- रिट याचिका के अंतर्गत छल के बिन्दु् बाबत् विचारण नही किया जा सकता- सक्षम अधिकारी को धारा 7 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति निरस्त करने का अधिकार उपलब्ध है- अतः उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर मामले को प्रतिप्रेक्षित किया गया- सहायता अनुदान (ग्रान्ट एन ऐड)

सिनेमा हॉल जिसको अन्तरिम परमिट जारी किया गया था, के वास्तविक स्वामी प्रत्यर्थी के दादा थे। उनके द्वारा प्रत्यर्थी को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा स्थाई सिनेमा हॉल निर्माण हेतु बतौर मालिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया कि उसके दादा की मृत्यु हो चुकी है। जिला न्यायाधीश द्वारा यह मानते हुए की प्रत्यर्थी सिनेमा हॉल का मालिक है, अनुज्ञप्ति जारी की गई। सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी को इस आश्य

का नोटिस जारी किया गया कि उसके द्वारा स्थाई सिनेमा हॉल चलाये जाने हेतु स्वयं को गलत रूप से मालिक बताकर स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रत्यर्थी को इस आश्य का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया कि क्यो ना सहायता अनुदान व उसका नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जावे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि प्रत्यर्थी सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं, क्योकि उसके द्वारा यह तथ्य छिपाया गया कि वह वास्तविक स्वामी नही है। वसूली आदेश पारित किया गया व स्वीकृत कि गई सहायता अनुदान अपास्त किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार किया गया । अतः यह अपील।

अपील स्वीकार कर न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किया गया।

अवधारित किया गया:-

उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की प्रकृति व उसमें निहित विवाद को पूरी तरह दृष्टिगत नही रखा गया। क्या कोई छल पूवक संव्यवहार किया गया है, इस बिन्दु का विचारण रिट याचिका के अंतर्गत नही किया जा सकता हैं उत्तर प्रदेश सिनेमा विनियम अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति को रदद् करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को प्रदान किया गया हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नही किया गया कि अपीलार्थी के दादा, जो वास्तविक स्वामी थे कि मृत्यु का क्या प्रभाव होगा। उसके द्वारा इस तथ्य की भी जांच नही की गई कि प्रत्यर्थी, जिसके द्वारा क्लेम प्रस्तुत किया गया है वह सिनेमा हॉल का वास्तविक स्वामी है एवं उसके द्वारा स्थाई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त तथ्य वाद विषय पर गंभीर असर रखते है। उच्च न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों एवं लागू विधिक प्रावधानों पर विचार

किये ही जल्द बाजी में नतीजा दिया गया है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित चुनौती ग्रस्त आदेश अपास्त किया जाता है एवं मामले को विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील संख्या 2094/2008 एवं सिविल अपील 2095/2008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 33291/2004 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 22.2.2005 के विरूद्ध

शेल कुमार द्विवेद्वी अतिरिक्त महाधिवक्ता (अतिरिक्त अर्टोनी जनरल) कृषणन वेणुगोपाल, रवीन्द्र कुमार, गुनाम वेकेटेश्धरा राव, कुलदीप सिंह, धुरवमेहता, पी एन पूरी, धीरज, रीटा दीवान पूरी, आर के पाण्डे, टी पी मिश्रा एवं कमलेन्द्र मिश्रा पक्षकारान की ओर से उपस्थित।

निर्णय न्यायालय डॉ. अरिजीत पसायत न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2- यह दोनो अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित कॉमन निर्णय, जिसके द्वारा रिट याचिका (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 33291/2004) स्वीकार की गई व संलग्न रिट याचिका (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 37610/2004) पहले प्रकरण में निर्णय पारित हो जाने के कारण कोई आदेश आवश्यक नही होने से उत्पन्न हुई है।

3- पहली रिट याचिका में जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2004 जिसके अंतर्गत यह अवधारित किया गया है कि प्रत्यर्थी प्रमोद कुमार

शुक्ला द्वारा 21,27,551.13/- रूपये का सहायता अनुदान राशि दिनांक 02.04.1990 से 01.04.1995 के मध्य राज्यकीय आदेश के अंतर्गत तथ्यों को छिपाकर छल के आधार पर प्राप्त की गई है। बहस में यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया है कि वह मालिक नही है तथा सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी नही है। परिणामतः उत्तर प्रदेश सिनेमा विनिमय अधिनियम 1955 (संक्षेप में ''सिनेमा अधिनियम'') की धारा 5(3) की शक्तियों के अधीन वसूली का आदेश जारी किया गया व जो सहायता अनुदान कार्यालय आदेश क्रमांक 299 दिनांक 10.4.1990 के अध्याधिन प्रदान किया गया है, अपास्त किया गया। आगे उत्तर प्रदेश उक्त प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 01.07.1994 को प्रस्तुत नवीनीकरण प्रार्थना पत्र धारा 21 उत्तर प्रदेश जनरल क्लॉजेज अधिनियम, 1904 (संक्षेप में जनरल क्लॉजेज अधिनियम) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन निरस्त किया गया। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश मनोरंजन अधिनियम, 1979 (संक्षेप में) मनोरंजन कर अधिनियम) की धारा 12(1) के प्रावधानों के अंतर्गत उसके द्वारा इस प्रकार छल व धोखे के आधार पर दिनांक 02.04.1990 से 01.04.1995 की अवधि के मध्य प्राप्त मनोरंजन शुल्क की राशि 21,27,551.13/- रूपये भी जमा करवाने का आदेश पारित किया गया।

4- प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्न प्रकार से है:-

प्रत्यर्थी प्रमोद कुमार शुक्ला जो कि प्रस्तुत अपील जो विशेष अनुमति याचिका सिविल; एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 11752/2006 से उत्पन्न हुई है, में अपीलार्थी है व श्री सत्य प्रकाश शुक्ला का पुत्र है। ''गिरजा चित्रालय'' नामक सिनेमा हॉल को छह माह की अवधि के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति (परमिट) जारी की गई थी। निर्विवाद रूप से दिनांक 10.11.1986 को वास्तविक मालिक श्री गिरजा शंकर शुक्ला द्वारा एक मुख्त्यारनामा निष्पादित कर अपने पौत्र प्रमोद कुमार शुक्ला को मुख्यात्यारआम नियुक्त

किया गया। उक्त मुख्त्यात्यानामा, दिनांक 10.11.1986 को निष्पादित किया गया व जिसका पंजीयन उप पंजीयक फरूकाबाद द्वारा दिनांक 14.11.1986 को किया गया। दिनांक 31.10.1988 को स्थायी सिनेमा हॉल निर्मित किये जाने बाबत् स्वीकृति प्रदान की गई। प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 06.9.1988 को गिरिजा शंकर शुक्ला की मृत्यु दिनांक 31.03.1987 को हो जाने के तथ्य को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा स्वंय को सिनेमा हॉल का मालिक बताते हुए स्वंय द्वारा ही अस्थाई सिनेमा हॉल चलाये जाने एव संबंधित प्लाट पर स्थाई सिनेमा हॉल भवन निर्मित किये जाने बाबत् तथ्य वर्णित किये गये। गौरतलब है कि उसके द्वारा बतौर मुख्त्यारआम आवेदन करने के स्थान पर बतौर मालिक आवेदन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा कुछ शर्तो के अधीन स्वीकृति जारी की गई।

अपीलार्थी का कथन है कि प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा गलत रूप से स्वंय को मालिक बताते हुए आवेदन किया गया एवं प्रमोद कुमार शुक्ला को स्वामी मानते हुए ही स्वीकृति जारी की गई। उसके पिता सत्यप्रकाश शुक्ला द्वारा यह वर्णन किया गया जिस कारण दिनांक 30.3.1990 से दिनांक 31.3.1993 की अवधि तक प्रभावी अनुज्ञप्ति का कोई नवीनीकरण नही किया गया। दिनांक 19.6.2004 को कारण बताओ नोटिस इस आक्षेप के साथ जारी किया गया कि स्थाई सिनेमा हॉल चलाये जाने की स्वीकृति वास्तविक तत्थ्यों को छुपाकर प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा स्वयं को गलत रूप से मालिक बताकर प्राप्त की गई है। कारण बताओ नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि क्यो ना सहायता अनुदान (ग्रान्ट एन ऐड) की राशि जो छल एवं तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई है को धारा 12(1) मनोरंजन अधिनियम एवं आदेश क्रमांक 299 दिनांक 10.4.1990 के अंतर्गत प्रदान की गई है, को निरस्त कर दिया जावे एवं अनुज्ञा नवीनीकरण बाबत् प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया जावे।

सहायता अनुदान संबंधी आदेश दिनांक 10.4.1990 में प्रमोद कुमार शुक्ला को लाईसेन्सी (अनुज्ञपति धारक) वर्णित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में वर्णन कर यह अवधारित किया कि उक्त आदेश दिमाग को लगाये बिना, जल्दबाजी में पारित किया गया है। यह भी वर्णित किया गया कि अधिकारियों को आवश्यक कानूनी राय इस आश्य की ली जानी चाहिए थी कि कार्यकारी अधिकारी किसी बिन्दु को किस हद तक निर्णित कर सकता है। उक्त प्रकरण व्यक्तिगत एवं सरकार के मध्य किये गये छल जिससे राज्य को नुकसान पहुंचे का नही है बल्कि पिता एवं पुत्र संबंधी विवाद है जिसके संबंध में किसी सक्षम सिविल न्यायालय को ही सम्पत्ति के संबंध में अधिकार, स्वामित्व व खाते के आधार पर अथवा फौजदारी न्यायालय द्वारा छल एवं कूट रचना के सबूतों के आधार पर ही किया जा सकता है व आंक्षेपित आदेश विधि विरूद्व है।

5- अपीलार्थीगण के विद्ववान अधिवक्तागण द्वारा यह कथन किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के वाद विषय को पूरी तरह गलत विवेचित किया गया है। उसके द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नही किया गया कि प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा गलत रूप से स्वयं को मालिक बताया गया, जबकि वास्तविकता में ऐसा नही है। यह तथ्य निर्विवादित है कि मुख्यातरनामा प्रदान करता का स्वर्गवास 1987 यानि नवीनीकरण बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने/स्थाई सिनेमा हॉल बाबत प्रार्थना प्रस्तुत करने से काफी पूर्व ही हो गया था।

6- दूसरी ओर विद्ववान अधिवक्ता प्रत्यर्थी प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सही बताते हुए यह कथन किया गया कि इस प्रकार के प्रकरण में जिलाधीश को इस प्रकार का आंक्षेपित आदेश पारित नही करना चाहिए।

उनका कथन है कि पारिवारिक समझौते के अंतर्गत उसके पिता सत्यप्रकाश शुक्ला द्वारा कई दस्तावेज निष्पादित किये गये, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह ही सिनेमा हॉल का वास्तविक स्वामी है।

7- उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के वाद विषय एवं विवाद को पूरी तरह नजर अंदाज किया गया है। क्या कोई छल किया गया है, इस बिन्दु पर रिट याचिका के अंतर्गत विचार नही किया जा सकता है। सिनेमा एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी को अनुज्ञा निरस्त करने के अधिकार प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नही किया गया कि गीरिजा की मृत्यु का क्या प्रभाव होगा। उसके द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नही किया गया कि प्रमोद कुमार शुक्ला का यह कथन कि वह सिनेमा हॉल का मालिक है तथा उसके द्वारा स्थाई अनुज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त तथ्य मामले के वाद विषय पर गंभीर प्रभाव रखते है। उच्च न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण के वास्तविक एवं विधिक प्रावधानो पर विचार किये ही जल्द बाजी में नतीजा दिया गया है। इस कारण से हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त कर मामले को विधि अनुसार नये सिरे से निस्तारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करते है। उच्च न्यायालय से हम यह प्रार्थना करते है कि वह प्रस्तुत मामले को आज से 4 माह की अवधि में निस्तारित कर देवे।

8- यह अपीले उपरोक्त हद तक स्वीकार की जाती है। हर्जे के संबंध में कोई आदेश नही है।

अपीले स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेंद्र शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।